an>

Title: Discussion on the situation arising out of drought and drinking water crisis in many states and need to consider inter-linking of rivers and water resource management for sustainable solution to mitigate the crisis.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Item No. 13 – Discussion under Rule 193.

Shri Jagdambika Pal.

...(*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Sir, please take up Zero Hour.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, issue of drought and drinking water crisis is more important.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will take up the Zero Hour after 6 o'clock.

Now, let Shri Jagdambika Pal speak.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्Âठाता महोदय, मैं आपका, अनुराग जी का, अपने सभी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष के सहयोगियों और पप्पू जी का विशेÂष रूप से आभारी हूं कि कम से कम इस सम्मानित सदन के सदस्य पहले दिन से ही सूखे जैसे विÂषय को उठाना चाहते थे। आज हमारी लोक सभा की अध्यक्षा ने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय मंजूर किया है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा की गंभीरता यह है कि आज इस चर्चा में न केवल सदन साक्षी है, बल्कि पूरे देश के लोगों की नजरें भी लगी हुई हैं, क्योंकि सूखे की समस्या किसी एक या दो राज्य की नहीं है, उत्तर भारत या दक्षिण भारत की नहीं है, बल्कि आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दस राज्यों के 256 जनपदों की 33 करोड़ आबादी इस सूखे से प्रभावित है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह सदन गंभीर है, सदन के सम्मानित सदस्य गंभीर हैं। मैं अध्यक्ष महोदया का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न काल में भी माननीय सदस्यों को सवाल पूछने का अवसर दिया। उन्होंने जीरो ऑवर में भी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। उनके खुद के इनीशियेटिव रिसर्च सैंटर में 4 और 5 तारीख को दो दिन की कार्यशाला इस सूखे पर चल रही है, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण पैनल आया है। उस पैनल के लोग हमें बतायेंगे कि सूखे और पेयजल के संकट का समाधान कैसे होगा। इस सदन में हम लगातार बरसों से सूखे की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं निकला। आज पहली बार हम केवल सूखे की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि सूखे से होने वाले पेयजल के संकट पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस देश के समक्ष पहली बार ऐसी गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि न केवल देश में सूखा है, बल्कि सूखे के साथ-साथ पेयजल का भी संकट हो गया है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सूखे और ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसेज, ये दोनों चुनौतियां देश के समक्ष आ गयी हैं। वÂर्ष 2014-15 में 107 जनपद सूखे से प्रभावित थे। आज यह कितनी गंभीर चिंता का विÂाय है कि वष्Âान 2015-16 में 256 जनपद सूखे से प्रभावित हैं, यानी सूखे का प्रभाव बढ़ रहा है। आप महाराÂष्ट्र के लातूर की घटनाओं को रोज अखबारों और टेलीविजन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड के बांदा जिले के नत्थू किसान की मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तेलंगाना की वह मां, जो अपने दो बच्चों को पानी पिलाने के लिए उसकी तलाश में घर से निकली, तो हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गयी और वे दोनों बच्चे पेड़ के नीचे पानी का इंतजार करते-करते मौत के मुंह में चले गये। मैं यह कोई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि यह हकीकत है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि देश में इससे ज्यादा गंभीर परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो सकतीं। आज तेलंगाना में जल के संकट से दस और चार साल के बच्चे की मौत के साथ-साथ 257 लोगों की मौत हो चुकी है। आज देश के उन दस राज्यों में जहां सूखे और पेयजल के संकट से ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हमें केवल इस पर चर्चा नही करनी होगी, बल्कि इसके समाधान के लिए सोचना होगा।

सभापति महोदय, मैं उमा भारती जी को बधाई दूंगा कि कम से कम जब से हमारी सरकार बनी, इस सरकार ने नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव के बारे में सोचा। पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नदियों को जोड़ने का एक प्रयास शुरू किया था, लेकिन वह प्रयास बीच में रह गया। आपको याद होगा कि लगातार यह कोशिश हुई कि इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स हो। इसके संबंध में वष्Âान 1970 में दो प्रस्ताव आये। एक डा. के.एल.राव का प्रस्ताव आया और दूसरा, गारलैंड केनाल बाय कैप्टन दस्तूर का प्रस्ताव आया कि नैशनल वाटर ग्रिड बनाया जाये।

जिससे जिस एरिया में वाटर रिच रीज़न हो, जो डेफिसिट रीज़न हो, जहां पानी की कमी है, संकट है, अकाल की स्थिति है, वहां पानी को पहुंचा सकें, इस दिशा में प्रयास किया जाए।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई काम वÂर्ष 1970 के बाद से आगे नहीं बढ़ पाया है। 17 जुलाई, 1982 को नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बावजूद 1982 से आज तक नदियों की इंटरलिंकिंग के संबंध में काम नहीं हुआ है। 46 प्रस्ताव आए थे। चाहे केन, बेतवा, गोदावरी, कृÂणा या महानंदा नदी हो, देश के तमाम राज्यों की नदियों को जोड़ने का नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अपना प्रस्ताव दिया।

<u>17.26 hours</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

46 प्रस्ताव नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के सामने पड़े रहे। इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27.2.2012 को निर्णय दिया - The hon. Supreme Court has directed that an appropriate body should be created to plan, construct and improve the interlinking of rivers programme for the benefit of the nation as a whole. यह फैसला देश की जनता के हित में था, देश के उन क्षेत्रों के हित में था जहां पानी का लैवल लगातार नीचे जा रहा है और लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इन परिस्थितियों में देश के उच्चतम न्यायालय ने 2012 में फैसला दिया कि ऐसी बॉडी देश में क्रिएट करें जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सके क्योंकि अगर एक जगह पानी का संकट है तो दूसरी जगह से पानी के संकट को दूर किया जा सके लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मंत्री उमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि 23.09.2014 को सरकार ने फैसला किया और स्पेशल कमेटी फॉर द इंटरलिंकिंग आफ रिवर्स का गठन किया। इसका गठन केवल कागजों पर नहीं हुआ है। इसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री उमा भारती जी को करनी है। दो वÂर्ष भी नहीं हुए हैं, इन्होंने आठ बैठकें की हैं। आने वाले समय में दुनिया में पानी का संकट होने जा रहा है, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार पानी के संकट से एक सक्षमपूर्ण ढंग से निपटने में कामयाब होगी।

महोदया, न केवल माननीय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी बल्कि टास्क फोर्स 13.04.2015 भी बनाई गई ताकि जो बैठकें हो रही हैं, उनसे जो कन्कलून ड्रा करें कि नदियों को जोड़ने का काम किस तरह से कर सकते हैं। इसका गठन वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए किया गया। टास्क फोर्स का गठन 13.04.2015 में हुआ है, उसकी बैठक 23.04.2015, 05.11.2015 और 28.04.2016 को हुई। देश और दुनिया में पानी का संकट पैदा हो रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी लगातार इस बात के लिए चिंतित हैं कि नदियों को जोड़ने के प्रयास को सार्थकता पर कैसे उतार सकते हैं। इस दिशा में काम आगे हो रहा है।

इंटरलिंकिंग के लिए नेशनल परस्पेक्टिव प्लान बनाया है। इसमें नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के 16 प्रोजेक्ट पेनिनसुला कम्पोनेंट के हैं, हमारी नदियों के हैं, हिमालयन रेंज के हैं, नेपाल से नदियां निकलती हैं, कोसी, गंगा, जलकुंडी आदि नदियां निकलती हैं। हिमालयन कम्पोनेंट के 14 प्रोजेक्ट हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी स्वयं इसके लिए प्रयास कर रही हैं क्योंकि लगातार पानी का संकट हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं।

महोदया, देश के माने-जाने व्यक्ति चाहे मंगला राय जी हैं, इंदिरा जी हैं या अन्य हैं, उन्हें आपने दो दिनों के लिए सांसदों के साथ बिठाया। सदन में प्रश्नकाल में इस विषÂाय पर चर्चा हो रही है, आपने शून्यकाल में मौका दिया, इसके बावजूद भी कुछ लोग अखबारों में यह रिपोर्ट लिख रहे हैं कि लगता है कि पार्लियामेंट में इस गंभीर विÂाय पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं निश्चित तौर से आपको बधाई दूंगा कि जिस तरीके से सूखे पर चर्चा सदन कर रहा है, सदन से बाहर ही चर्चा हो रही है और सांसदों को बताया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रेग्यूलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या मनरेगा के अंदर जल संचयन या वाटर रिसोर्सेस के कंजर्वेशन के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं इस दिशा में भी सूखा संबंधित समस्याएं हैं, इनके समाधान की तरफ बढ़ेंगे तथा पेयजल प्रबंधन की समस्याओं के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ेंगे। आज कृÂिष क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और कृÂिष क्षेत्र में अगर सूखा पड़ता है तो निश्चित तौर पर कृÂिष को प्रभावित करता है। कृÂिष से आज भी 50 प्रतिशत आबादी रोजगार प्राप्त करती है। हमारी जीडीपी में कहीं न कहीं कृÂिष का अंश कम हुआ है, यह भी चिंता का विÂषय है। उत्तर प्रदेश के 50 जनपद सूखाग्रस्त किए गए हैं। राधा मोहन जी बैठे हैं, केंद्र सरकार ने इस विÂषय में पहल की है, वे मेमोरेंडम की वेट नहीं करते हैं, इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि राज्य हमसे मांग करे, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड से राज्य डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए केंद्रीय अंश का पहली किश्त के रूप में 2551 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसे दिया जा चुका है और वषÂान 2015-16 के लिए एसडीआरएफ के लिए धनराशि का समायोजन है वह 10275 करोड़ रुपए किया है। यह पिछले सालों की तुलना में दोगुना पैसा किया है। इसके लिए सरकार को बधाई है।

अध्यक्ष महोदया, आज सरकार को जिस तरह से किसानों की चिंता है कि पहले एक मानक था कि अगर 50 प्रतिशत से कम फसल की क्षति होगी, तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की भी चिंता की, उन्होंने किसानों की क्षति को देखा कि जिलों से प्रशासन की रिपोर्ट कभी भी पचास प्रतिशत की नहीं आती है। इस क्षति को पचास प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। आज भी किसान मानसून पर ही निर्भर करता है इसलिए जब ऐसा संकट छोटे और सीमांत किसान के सामने उत्पन्न हो जाती है तो वह इस संकट को झेल नहीं पाता है। पूरे विश्व की 17 परसेंट आबादी केवल भारत में रहती है लेकिन विश्व की कुल जमीन का केवल 2.3 परसेंट भारत के पास है और पूरी दुनिया में जो पानी की उपलब्धता है उसका केवल भारत के पास 4.2 परसेंट है। आप देख सकते हैं कि जमीन पर कितना ज्यादा घनत्व है कि 111 के सापेक्ष 137 घनत्व है। जो 140 लाख बिलियन टन्स हम पैदा कर रहे हैं, वह आज भी पैदा कर रहे हैं। भारत में हम जो पानी यूज कर रहे हैं वह 27 परसेंट ब्लू वाटर है। चाइना में केवल 14 परसेंट है, यूएसए में 11 परसेंट है। हमारी आबादी तीन गुना बढ़ गई है। जमीन कम होती जा रही है। जमीन में जो कार्बन कंटेट पांच परसेंट होना चाहिए वह घटकर 0.25 परसेंट रह गया है। आने वाले दिनों में केवल भारत के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने डिमांड के सामने सप्लाई का गैप 50 परसेंट होगा। कल मंगलवार को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि जल संकट के कारण देशों की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी। यह बात केवल भारत के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विÂषय है। महोदया, मैं इस विषÂाय पर चर्चा के लिए आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप केवल सूखे पर ही चर्चा नहीं करवा रही हैं बल्कि पेयजल के संकट की चर्चा और वॉटर रिसोर्सेस का मैनेजमेंट कैसे हो, पानी का दुरुपयोग न हो, पानी का संरक्षण हो, पानी का जल संचयन हो तभी हम आने वाले अपने लोगों को पीने का पानी दे सकते हैं।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि दुनिया की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसका जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, उस आर्थिक वृद्धि के कारण, उससे पानी की मांग बढ़ेगी। यह भी कहा है कि जल-संकट, आर्थिक वृद्धि और विश्व की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा होगा।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि जो जलवायु परिवर्तन और जल-संकट की समस्याएँ बढ़ रही हैं, ये न केवल एक संकट पैदा करेगा, बल्कि लोगों को पलायन के लिए मजबूर करेंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया में पानी के लिए संघÂर्ष हो, ऐसी समस्या भी पैदा हो सकती है।

आज भारत को पेयजल की चुनौती और सूखे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दो वÂर्षों से लगातार सूखा पड़ा और देश में दोनों फसलें- रबी और खरीफ सूखे से प्रभावित हुए। देश के बड़े भू-भाग जो सूखे से प्रभावित हुए, उसके कारण जिस तरीके से हमारे जिलों की 33 करोड़ आबादी प्रभावित हुई है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन पर समय रहते हुए हमने कदम नहीं उठाया तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के सामने स्वच्छ जल दुर्लभ हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्व की तमाम अर्थ-व्यवस्थाएँ हैं, ये केवल हमारे देश को ही नहीं प्रभावित करेंगी, बल्कि इसका प्रभाव पश्चिम यूरोप, अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थ-व्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ेगी, पहाड़ों पर हिमपात कम होगा, जिससे नदियों की जलापूर्ति कम होंगी। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक समस्या होगी क्योंकि जब इलाके गर्म होंगे तो उससे भू-जल का स्तर और नीचे गिरेगा। आज भू-जल का स्तर ऑलरेडी 41 सेंटीमीटर गिर चुका है।

जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए आने वाले दिनों में हम कदम उठा सकें, मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूँगा कि उन्होंने सरकार में आने के बाद सबसे पहला कदम यह उठाया कि आज देश में जो फसल चक्र है कि कहीं गन्ने की खेती में पानी ज्यादा लगने के कारण आज महाराÂष्ट्र में जो परिस्थिति है, कपास में, धान के फसल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं, जिनमें जरूरत से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए कौन-सी खेती की जाए, किसानों को इस बात की जानकारी देने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा ताकि किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की जानकारी हो सके कि उसकी उर्वरा क्षमता क्या है। इसमें कौन-सी फसल बोयी जाए ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो और जिसमें जल की कम आवश्यकता पड़े। मैं समझता हूँ कि आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उस समय पंचायत चुनाव हो रहे थे। इसलिए यह कहा गया कि उस समय वहाँ कार्ड नहीं बांटे जाएंगे। दुर्भाग्य से आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बन पाया है।

यदि केन्द्र सरकार इस संघीय ढ़ांचे में इस बात की कोशिश कर रही है कि हर किसान के पास उसके अपने खेत के हेल्थ की जानकारी हो कि मृदा में कितनी उर्वरा क्षमता है, उसके लिए उसे क्या ट्रीटमेंट करना है, उसमें कितनी खाद डालनी है, ऐसा तभी होगा, जब किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इसी के साथ किसानों के सामने सिंचाई का संकट है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की, जबकि आप जानते हैं कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर कन्करेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम ऐसा कहकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार का पूरा फोकस इस बात के लिए है कि हम किस तरीके से किसानों को सिंचाई की सुविधा दे सकें। आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप" की बात कही गयी है। हम चाहते हैं कि हर किसान एक-एक बूंद पानी से अधिक से अधिक क्रॉप पैदा कर सके।

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त करें। बाकी सदस्य भी बोलेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम, मुझे थोड़ा समय दें, मैं तीन-चार विÂषय बोलना चाहता हूं।

अभी तक राÂट्रीय फसल बीमा थी, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गयी है। अभी तक जो राÂट्रीय कृÂिष बीमा योजना थी, उसमें बहुत सी कठिनाइयां थीं। हम लोग अपने इलाके के किसान को कभी भी उस योजना में कवरेज नहीं दिला पाते थे। आज इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आने के बाद, इसमें मिनिमम प्रीमियम पर किसानों को बीमा का लाभ उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर खेत में खड़ी फसल का नुकसान हो गया, तभी उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा, बल्कि अगर खेत में फसल की कटाई हो गयी, वह फसल अगर खेत में कटकर पड़ी हुई है और उसमें भी कोई जोखिम हो गया, उसमें आग लग गयी, तो उसका भी मुआवजा मिलेगा। जिस प्रकार कई दिनों से यह सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग अपने खेत की फसल कटने के बाद उसका डंठल जला देते हैं, उसकी वजह से जिस खेत में फसल खड़ी है, उसके भी जलने से नुकसान होता है, जिस तरह से राÂष्ट्रीय नुकसान होता है और जिस तरह से उस जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, उसमें जो किसान-मित्र जीव जैसे केचुआ वगैरह रहते थे, वे मर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज उस जोखिम को भी इसमें कवर करने की कोशिश की गयी है और बहुत व्यापक रूप से वह इसमें कवर होगा।

अध्यक्ष महोदया, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे आपने अभी देखा कि बुंदेलखण्ड में जालौन के एक नत्थू किसान की मौत हो गयी। चार दिनों से उनके घर में फाकाकसी चल रही थी, मैंने उस घटना को देखा, अखबारों में पढ़ा, टेलीविजन पर देखा, मैं उससे मर्माहत हूं। मैं बहुत भारी मन से इस विÂाय को कह रहा हूं। नत्थू किसान के छः बच्चे हैं, उसके घर में चार दिन से फाकाकसी चल रही थी, जब उसे मालूम हुआ के पास के कैला गांव में समाजवादी राशन का पैकेट मिलेगा। उसके लिए चार दिन का वह भूखा किसान जब घर से निकला और घर से निकलने के बाद रास्ते में

उसे एक नल दिखाई दिया, वहां वह पानी पीने के लिए गया और वहीं उसकी मौत हो गयी। उसके बाद केवल वहां के खाद्य-रसद अधिकारी का तबादला हो गया। क्या उस अधिकारी के तबादले से नत्थू किसान वापस आ जाएगा? क्या उसके छः बच्चे, जो अनाथ हो गए हैं, उनको पिता का साया मिल जाएगा? जिस तरीके से तेलंगाना की घटना हुई, लातूर में आप देख रहे होंगे कि अगर वहां एक टैंकर पानी जाता है तो किस तरीके से लोग पानी वहां लेते हैं। बुंदेलखण्ड में चार वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, वहां भयंकर पेयजल संकट है। राज्य सरकार लोगों को पानी नहीं दे पा रही है और केन्द्र सरकार की ओर से रेल मंत्रालय ने वहां पानी की एक ट्रेन भेजी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हमें बुंदेलखण्ड में पानी की जरूरत नहीं है। वह ट्रेन वहां खड़ी है। जब दैवी आपदा आती है तो दुनिया के दूसरे देश भी सहायता करते हैं, हम पाकिस्तान की करते हैं, नेपाल की सहायता हमने की, इसी तरह अन्य देश हमारी मदद करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखण्ड में लोग पानी की कमी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने लातूर की तरह ही वहां भी रेलगाड़ी से पानी भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी जानते है कि बुंदेलखण्ड में पानी की कमी है और वहां ट्रेन पानी लेकर खड़ी है, उसका पानी लिया नहीं जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अनुचित कोई बात नहीं हो सकती है कि एक तरफ पानी का संकट हो और दूसरी तरफ राज्य सरकार का पानी उतर गया हो कि पानी की ट्रेन मौजूद हो, उसके बावजूद पानी नहीं ले रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अभी माननीय सदस्य और मुलायम सिंह यादव जी मिलकर कान में बात कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में आपकी ऐसी फोटो है।...(व्यवधान) अगर उस समय कान में यह बात बोल देते तो बुंदेलखण्ड का सवाल ही नहीं होता।

श्री जगदम्बिका पाल : जब आप खड़े होंगे तो आपके साथ भी मेरी फोटो आएगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बुंदेलखण्ड की घटना वही है जैसे..(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : खड़गे जी, आप क्यों खड़े हो गए, ये इन दोनों के बीच का मामला था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका पाल जी, आपस में चर्चा मत कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं क्षमा चाहता हूं।

महोदया, आज जो पेयजल का संकट है, उसी के संबंध में हम कहेंगे। आज बुंदेलखण्ड की स्थिति ऐसी है कि जैसे एक पथिक जा रहा था। एक पेड़ में सूखे के कारण आग लगी हुई थी। उस पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे। पतियां जल रही थीं। उस पथिक ने कहा- 'आग लगी है उस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास।' यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि जब पथिक ने पूछा कि जब पेड़ की पतियां जल रही हैं तो तुम्हारे पास पंख होने के बावजूद भी उस पर उड़ क्यों नहीं रहे हो? उन पंछियों ने पथिक से कहा-'फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथड़े पात, अब यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ।' बुंदेलखण्ड के लोग ऐसे ही संवेदनशील हैं, जो आज भी पलायन नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, पांच मिनट दे दीजिए।

ग्राउण्ड वॉटर लाइफ लाइन है। 67 परसेंट ग्राउण्ड वॉटर से हम सिंचाई का काम कर रहे हैं, पानी पीने का भी काम कर रहे हैं। ग्राउण्ड वॉटर पर कल भी चिंता व्यक्त की गयी कि उसमें आर्सेनिक पाया जा रहा है, फ्लोराइड भी पाया जा रहा है। कहीं न कहीं हमें सर्फेस वॉटर का संरक्षण करना होगा। ग्राउण्ड वॉटर के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा मनरेगा में सबसे ज्यादा धन दिया गया है। साथ ही साथ वॉटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और ईरीगेशन पर किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 4323 केचल वॉटर कंजर्वेशन के लिए किया है, वॉटर शेड मैनेजमेंट के लिए 647 और ईरीगेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए 3137 किया है। इस तरीके से सरकार ने चिंता की है।

मैं चाहूंगा कि कृÂिष मंत्री जी यहां बैठे हैं जब वह जवाब देंगे कि आप जो निधि आबंटित करते हैं, वह चाहे आप एसडीआरएफ में कर रहे हैं या हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी मनरेगा में कर रहे हैं, उन निधियों का उपयोग जल संरक्षण के लिए हो रहा है या नहीं, क्योंकि यह एक चिंता का विÂषय है। अगर जल संरक्षण नहीं हुआ। आज गांवों में तालाब सूख रहे हैं, उनका अतिक्रमण हो रहा है। जिस तरह से कुएं अब गांवों से लुप्त हो रहे हैं। कहीं एक-आध कुआं ही बचा है। हमारी सरकार ने मनरेगा के तहत कुएं और तालाब खोदने और गहरे खोदे जाएं, क्योंकि वॉटर तभी रिचार्ज हो सकता है, जब तालाब गहरा हो। आपने देखा होगा कि नेपाल की फुलहिल्स 1475 किलोमीटर है जो टनकपुर से रक्सौल तक है। उत्तराखण्ड, यूपी और बिहार की जो सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर या बस्ती इत्यादि जनपदों में नेपाल नदियों का सिल्ट आ रहा है। राप्ती हो, बूढ़ी राप्ती हो, करनाली हो, बाणगंगा हो या कोसी हो। इन सारी नदियों का रिवर बैड जिस तरह से ऊपर आ रहा है, जब पानी बरसात में आता है तो हम उसका कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं और वह पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। यह भी एक चिंता का विष्Âाय है कि हम सर्फेस वाटर को भविÂष्य में कैसे रेगुलेट करें तथा जो ग्राउंड वाटर है, उस वाटर को हम कैसे रेगुलेट करें, उस दिशा में हमें निश्चित तौर से एक प्लान बनाना होगा कि गांव का पानी गांव में रहे और खेत का पानी खेत में रहे। आज खेतों की मेड़बंदी नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पैनल ने जिस तरह से उन बातों को कहा, उससे कितना लाभ है कि आज उसकी स्थिति यह है कि अगर हर किसान...

माननीय अध्यक्ष : आप आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं दो मिनट और बोलूंगा। आज हर खेत की मेड़बंदी हो और अगर हर खेत के पानी को हम खेत में ही कंजर्व करेंगे तो यह काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। मानसून के समय अब हमें इस बात के लिए विचार करना होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, इसके लिए आने वाले दिनों में हमें कानून भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जल का दुरुपयोग हो रहा है, आपने पिछले दिनों उन घटनाओं को देखा, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज प्रत्येक गांव में चाहे बाउली, तालाब, कूंए या नाले हों, हमें इन सबका संरक्षण करना होगा, इन सभी ढांचों का निर्माण करना होगा और नालों का संरक्षण करके इनके उपयोग के लिए योजना बनानी होगी।

इसके अलावा एलोकेशन ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमें राÂष्ट्रीय जल नीति की प्राथमिकता तय करनी चाहिए, जिससे हम राÂष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत कहां कितने पानी की आवश्यकता है और कहां कितने वाटरशेड की जरूरत है, उस वाटरशेड के हिसाब से हम काम करें। हम पहले मुहावरा सुनते थे कि जल ही जीवन है, आज हम देखते हैं कि वाकई जल जीवन है, जब हम देखते हैं कि दुनिया या भारत के क्षेत्रों में सुनते हैं कि केवल जल के कारण या पेयजल के कारण मौतें हो गई, किसानों ने आत्महत्या कर ली या बच्चे पानी के अभाव में मर गये। यह आज एक गंभीर चिंता का विÂाय है, उस दिशा में आज हमारी इस लोक सभा में बुंदेलखंड के हमारे सम्मानित सदस्य चाहे उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हो, वे कल नीति आयोग के वाइस-चेयरमैन से मिले, वहां उन्होंने चर्चा की, वहां खुद सुश्री उमा भारती जी गई और उससे पहले बैठक हुई। आज कहीं न कहीं हम इस बात के लिए संवेदनशील हैं। लेकिन इस संघीय ढांचे में आज इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज अगर केन्द्र सरकार डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए पैसा दे रही है, हमने किसानों के पचास जिले सूखाग्रस्त घोÂिषत कर दिये, उसके बावजूद भी उस पैसे का वितरण न हो, अगर पानी भरकर पूरी ट्रेन जा रही हो, उसका ठीक से वितरण न हो तो यह उचित नहीं है। पहले केन्द्र सरकार के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता था, बार-बार मेमोरेंडम भेजा जाता था, रिमाइंडर आता था। लेकिन यहां केन्द्र सरकार इस बात के लिए खुद प्रयास कर रही है कि आप मेमोरेंडम भेजिये और यहां तक कि आपने देखा कि खुद प्रधान मंत्री जी केरल में गये, जम्मू-कश्मीर में गये, दैवीय आपदाओं में कितने ही राज्यों में खुद प्रधान मंत्री जी गये, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भेजा और उन मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से उस क्षति का आकलन किया और डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा दिया। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है कि हम रिलीफ देते जाएं, समाधान तो यह होगा कि आने वाले दिनों में हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़कर देश की 125 करोड़ जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पानी पहुंचा सकें, उस दिन हमारा लक्ष्य पूरा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आज देश में सूखे और पेयजल के संकट के विÂाय पर सदन में चर्चा हो रही है। आज हालात सिर्फ सूखे के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में इतने भयंकर हालात हैं कि सूखे से ज्यादा देश के दस से भी ज्यादा राज्यों में अकाल की परिस्थिति निर्माण हुई है। केन्द्र और राज्य शासन जहां-जहां है, यदि वे इस विÂाय को बहुत गंभीरता से भी लें तो भी इसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है।

महोदया, जिन दस राज्यों के बारे में मैं यहां जिक्र करूंगा, उनके 240 जिलों की बात है, महाराÂष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अन्य भी कई राज्य हैं, जो धीरे-धीरे इस सूखे के लपेटे में आकर इतनी भयंकर स्थिति में पहुंच गये हैं कि अब वे अकाल की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक महाराष्Âट्र के मराठवाड़ा के आठ जिलों का सवाल है, वहां के जो रिज़र्वायर्स हैं, डैम्स हैं, वहां सिर्फ आज के दिन में तीन प्रतिशत पानी की उपलब्धता रह गई है और आने वाले डेढ़ महीने हमें और निकालने हैं। पूरे राज्य का अगर ब्यौरा लिया जाए तो महाराÂष्ट्र के पूरे रिज़र्वायर्स में सिर्फ 19 प्रतिशत पानी आज उपलब्ध है। यह विÂषय इतना गंभीर है। आज मैं आपका आभारी हूँ कि आज इस चर्चा के लिए आपने विस्तृत तौर पर समय दिया है। अच्छा होता कि कृÂिष मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री और गृह मंत्री अगर सदन में मौजूद रहते तो शायद इस पर और भी चर्चा हो सकती थी, क्योंकि यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स से संबंधित विÂषय है। एनडीआरएफ से इसका संबंध आएगा तो गृह मंत्री उससे संबंधित हैं। कृÂिष मंत्री और वित्त विभाग संबंधित हैं। इन तीनों विभागों को मिलाकर अगर इस आकाल का हम लोग मुकाबला करेंगे, तब भी हम इसमें कहां तक कामयाब होंगे, इस पर जरूर शंका है।

महोदया, मैं पहले ही कृÂिष मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस विÂषय पर राजनीतिक तरीके से पेश आने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी दो या तीन बार सदन में कई प्रश्नों द्वारा इस विÂषय को उठाया गया है। आपने इस पर जवाब दिया है, परंतु ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आत्महत्याओं पर चर्चा हुई, जब आपने हमारे कहने से आपत्ति जताई परंतु आज आप खुद कबूल कर रहे हैं कि कितनी आत्महत्याएं पूरे देश में बढ़ गई हैं। हमारी बातों से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो रीसैंट जजमेंट्स अकाल के बारे में आए हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से ले कर यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस चीज़ को इतना कैजुअली कैसे ले रही है और दस ही राज्यों के अकाल के बारे में आपने क्या किया है। बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में जिक्र किया है। हाई कोर्ट में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है। पूरे देश का 35 प्रतिशत एरिया सूखे की लपेट में आ गया है। जगदंबिका पाल जी ने जो जिक्र किया, वह तो लॉन्ग टर्म मेज़र्स हैं, मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत कहा है। आज इमिजेट जरूरत है कि इस सूखे से निपटने के लिए तुरंत इंतजाम क्या करते हैं। राहत देने के लिए क्या करते हैं। लॉन्ग टर्म मेज़र्स तो जरूरी ही हैं, लेकिन इसमें तुरंत क्या फैसला करने की आवश्यकता है, उस पर कितना अमल होता है, यह जरूरी है।

महोदया, महाराष्Âट्र के लिए सूखा कोई नई बात नहीं है। सन् 1972 का जो सूखा है, जो अकाल की हालत थी, वह आज से भी भयानक थी। उस समय भी पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। साधनों के बावजूद भी उस वक्त प्रॉपर प्लानिंग और अच्छा नियोजन करने के बाद अकाल से सामना करने में आसानी हुई। उस वक्त खाने के लिए सुखाड़ी और पानी ही मिलता था। ऐसे ही बुरे हाल में सन् 1972 का अकाल महाराÂष्ट्र ने बहुत करीब से महसूस किया है। मैं नहीं कहूंगा कि आज के हालत सन् 1972 जैसे हैं। परंतु अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा और महीने-डेढ़ महीने में अगर बारिश नहीं आती है तो इससे भी बुरा हाल निश्चित तौर पर हो सकता है। हमें केंद्र शासन से यह उम्मीद है कि एक कॉप्रिहैंसिव स्टेटमेंट भारत सरकार से आना चाहिए। इस बारे में एक वाइट पेपर आना चाहिए कि क्या हालात हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। हमने आज तक क्या किया है, उसके ऊपर एक प्रकाश डालने वाली बात बहुत जरूरी है। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्य, आज जो शुरूआत हुई है तो आप देखेंगे कि सभी लोगों के अपने-अपने राज्यों में जो हालात हैं, वह यही बुरे हाल हैं कि लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर निश्चित तौर पर कोई ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना अमल में लानी चाहिए।

मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में एक-दो बार अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया है, महाराÂष्ट्र शासन ने कुछ दिनों पहले जितने भी गांव सूखे से पीड़ित थे, उनकी एक सूची घोÂिषत की है। लोगों ने कहा कि यह सच नहीं है। आपके राजस्व विभाग ने जो अनाउंसमेंट की है, जो लिस्ट पेश की है, वह गलत है। इससे भी ज्यादा गांवों की हालत खराब है। उनकी संख्या ज्यादा है। उनके मना करने के बाद जब हाईकोर्ट के सामने यह मामला गया तो हाईकोर्ट ने ग्राउंड की पूरी सच्चाई की, पूरे पेपर्स मंगवाए और उसके बाद में तकरीबन 16 हज़ार गांव नए सिरे से सूखा पीड़ित होने की घोÂषणा शासन को करनी पड़ी।

18.00 hours

यह सच्चाई हाई कोर्ट में जाने के बाद लोगों ने उसको महसूस किया है। बोलने का मतलब यह है कि ग्राउंड रिएलिटी जो है, वह कुछ और है और गवर्नमेंट की ओर से जो भी फैसले होते हैं, वे ग्राउंड रिएलिटी को बगल में रखते हुए होते हैं।

माननीय अध्यक्ष : अशोक जी, कृपया एक मिनट रूकिए। अगर हाउस की सहमति हो तो सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाता है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, इसके बाद जीरो ऑवर भी ले लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर भी ले लेंगे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: महोदया, हम लोगों ने बार-बार राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी कहा, आपसे भी हमारी यह विनती रहेगी कि सभी पक्षीय एक बैठक बुलाई जाए। स्टेट के गवर्नर से भी हम लोग मिले और हमने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, पर अगर इन्टरैक्शन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, क्या करना है, उसके बारे में कोई प्रोग्राम तय नहीं होता है, उसके अमल के बारे में एक मानीटरिंग नहीं होती है तो अगर सिर्फ अफसरों के भरोसे के ऊपर हम रहते हैं तो आज जो लातूर में हालात हम लोग देख रहे हैं, अन्य जिलों में भी हालात देख रहे हैं, अगर शुरू से, पहले से ही इसका नियोजन किया जाता तो लातूर को पानी ट्रेन से आने की नौबत नहीं आती। हमारी आज भी आपसे विनती है कि उसकी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। हर स्टेट में बुलाएं। दिल्ली में सभी स्टेट्स की बैठक बुलाना मुंकिन नहीं है, लेकिन अगर सभी राज्यों में सर्वदलीय बैठक बुलाकर गंभीरता से इसके ऊपर चर्चा की जाए तो मेरे ख्याल से इसमें निश्चित तौर पर फायदा होगा। आपको अवगभा इस बात का होगा कि कई जिलों के लोग माइग्रेशन करके मुम्बई की ओर जा रहे हैं। इस बात में तो सच्चाई है। लातूर के लोग तो जा ही रहे हैं, बीड के लोग जा रहे हैं, नांदेड़ के लोग जा रहे हैं, मराठवाड़ा के आठ जिलों के लोग जा रहे हैं, परभनी के लोग हैं, बाकी जिलों के लोग भी हैं, जो मुम्बई माइग्रेट हो रहे हैं। सरकार ने असेम्बली में जो बयान किया है कि ऐसा कोई माइग्रेशन मुम्बई की ओर नहीं हो रहा है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इस सरकार को कितने दिन हुए हैं? आपने कितने दिन शासन किया? छह महीने में सब इस सरकार ने कर दिया।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: मैं इसी बात पर आ रहा हूँ।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : आप एक साल से पानी नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदया, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। अकाल कोई पॉलिटिकली मोटिवेटिड इश्यू नहीं है कि राजनीति के कारण या सरकार आने के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि क्यों नहीं हम सब मिलकर इसका मुकाबला करके जो ग्राउंड रिएलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए तुरन्त फैसले करें। यह हमारी माँग है। सरकार किसी की भी हो, हमारी सरकार रहती तो भी हम आज यही कहते।

श्री निशिकान्त दुबे : आप 15 साल रहे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माइग्रेशन की बात पर सरकार ने असेम्बली में कहा कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है। पिछले दिनों हमारे शिव सेना के एकनाथ शिंदे ने ठाणे में, वे वहाँ के पालक मंत्री हैं, गार्डिअन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद बयान किया कि मैंने ठाणे में कैम्प्स खोले हैं और कैम्प्स में हम लोगों को मदद कर रहे हैं, वहाँ वे लोगों को खाना खिला रहे हैं। बात यह है कि ग्राउंड रिएलिटी कुछ और है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदया, खास तौर पर हमारी माँग इस सरकार से है कि जो फैसले तुरन्त करने की आवश्यकता है, जो ऋण लिया गया है, जो कर्जा किसानों ने लिया है, उस कर्जे को तुरन्त माफ करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि बैंकों को आप इंस्ट्रक्शंस दें। स्टेट गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की। आप बात करते हैं कि पुनःर्गठन करेंगे, रीशेडयूल्डिंग करेंगे। आपको पता है कि पिछले तीन साल से लगातार सूखा इस देश के कई राज्यों में है। सूखे के कारण जब उसकी आमदनी ही कुछ नहीं है तो रीशेडयूल करने के बाद में वह पैसा कैसे वापस करेगा, यह अहम सवाल मंत्री जी मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा। मैं बार-बार गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इस ऋण को माफ किया जाएगा तो उसका पूरा कर्जा हट जाएगा। उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है, वह भी खत्म हो जाएगा और आने वाले खरीफ सीजन में अगर उसको सीड्स और फर्टिलाइजर हम मुफ्त में दे दें तो आने वाले सीजन से एक नई शुरूआत वह अपनी जिन्दगी की कर

सकता है। वरना आप तो देख ही रहे हैं कि आत्महत्याओं का प्रमाण जो है, तीन हजार से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। इतनी आत्महत्याएं जब एक राज्य में होती हैं तो गंभीरता होनी चाहिए, आपने तो शुरू में इनकार कर दिया था कि इतनी आत्महत्या नहीं हुई हैं। बाद में आपकी खुद स्टेटमेंट है कि रोज 9 लोग राज्य में आत्महत्या कर रहे हैं। जब 9 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं तो एक साल, वष्Â्ान 2015 में तीन हजार से भी ज्यादा लोग जब आत्महत्या कर रहे हैं तो आप उसकी गंभीरता समझ सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि यह जो कर्जा लिया गया है, अगर उसे हम माफ कर देंगे, हम तो उसके मरने के बाद लाख रूपए उसके परिवार को देते हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जिन्दा रहते हुए उसका ऋण तो माफ कीजिए ताकि वह जिन्दा रह सके और लाख रूपए मरने के बाद मिलने से ज्यादा जिन्दा होते हुए अगर पैसे मिलते हैं तो उसको फायदा होगा। यह मेरी आप सबसे, सरकार से दरख्वास्त है।

मेरी रिक्वैस्ट है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए। आज जो पैसा आप खर्च करेंगे, आज इतना पैसा करोड़ों में खर्च हो रहा है, उससे अच्छा है कि यह कर देंगे तो उससे निश्चित तौर पर किसानों को राहत मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सुसाइड्ज़ कंप्लीटली बंद हो जाएँगे, ऐसा मेरा दावा नहीं है। पर वह जो फिगर है, वह कहीं न कहीं कम हो जाएगी और एक नई शुरूआत करने के लिए उसका फायदा होगा। आपने 3000 करोड़ रुपये महाराÂट्र के एन.डी.आर.एफ से दिये। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पर मैं यह भी कहूँगा कि यह सबसे ज्यादा राशि नहीं है। इससे पहले भी, हमारी सरकार के वक्त भी इससे भी ज्यादा राशि दी गई है। मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जब ज़रूरी होता है तो करना पड़ता है। पर मेरा यह कहना है कि पैट्रोल और डीज़ल के ऊपर जब स्टेट गवर्नमैंट ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए दो रुपये प्रति लीटर ज्यादा पैसे लगाए, पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रति लीटर दो रुपये पैट्रोल और डीज़ल पर जब लगाया जाता है, जब क्रूड आइल के प्राइसेज़ देश में गिर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस देश में राशि की कोई कमी नहीं होनी चाहिए अकाल से वारफुटिंग पर निपटने के लिए। इसलिए पैसे के ऊपर आप इसमें यह मत रखिए कि 4000 रुपये दिए या 3000 रुपये दिए। जितना ज्यादा पैसे की आवश्यकता हो, उसके पूरे अधिकार डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर्स को अगर आप डैलीगेट करते हैं, आज क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर के पास कुछ अधिकार नहीं हैं। स्टेट गवर्नमैंट जब पैसा देगी, तब भी आता है। मनरेगा के काम के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। मनरेगा के काम में आज जितनी संख्या होनी चाहिए, मैं फिगर्स लेकर आया हूँ कि आज मनरेगा के जो काम स्टेट में हो रहे हैं, तकरीबन 53 हजार लोग मनरेगा पर आज इस मराठवाड़ा के आठ जिलों में काम कर रहे हैं। यह आज की लेबर की अटैन्डैंस है जो काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, यह फिगर मैंने इसलिए बयान किया कि बहुत कम फिगर है। एक-एक जिले में 50-50 हजार लोग मनरेगा के ऊपर काम में आते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। वे रोज़गार की तलाश में हैं, पर मामला यह है कि ज़िले का कोई भी अफसर आज मनरेगा में सैंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। वह डर रहा है कि मैं अगर सैंक्शन करूँगा तो 156(3) के तहत मेरे ऊपर मुकदमा चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्म्स रिलैक्स करने की आवश्यकता है। मनरेगा के कामों में जितने ज्यादा ऐसी अकाल की परिस्थितियों को मंज़ूर करेंगे, ज्यादा लेबर अटैंडेंस बढ़ेगी। मराठवाड़ा के आठ जिलों की अटैंडैंस 53000, यह बहुत कम है। मेरी गुज़ारिश है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप उसकी मॉनीटरिंग कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर जिले में 50 हजार लोग मिलेंगे, चाहे वह बीड हो, लातूर हो, उस्मानाबाद हो। सबसे बड़ा सूखे से प्रभावित जो क्षेत्र है, एक-एक जिले में 50-50 हजार लोग कम से कम वहाँ आ जाएँगे। पूरे आठ ज़िलों में 50 हज़ार। इसका मतलब यह है कि गवर्नमैंट की यंत्रणा में नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी इसमें काम करने की इच्छा नहीं है। कई अफसर तो छुट्टी पर चले गए, काम नहीं करना चाहते हैं, डर के मारे नहीं करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा और उनको हिम्मत देनी पड़ेगी कि आप काम कीजिए हम आपके साथ हैं। यह मैंने ज़रूरी समझा इसलिए इस बात के ऊपर मैंने आपका ध्यान आकर्Âिषत किया।

सभापति महोदया, टैंकर की स्थिति यह है कि तकरीबन 3000 टैंकर आज मराठवाड़ा के क्षेत्र में चल रहे हैं। टैंकर की कोई कमी नहीं है, टैंकर की उपलब्धि है। सवाल यह है कि कितने टैंकर सही इस काम में लगे हुए हैं, कहीं टैंकर माफिया तो इसका फायदा नहीं उठा रहा है। पैसा तो मिल रहा है, टैंकर चल रहे हैं, पर कई राज्यों में यह चल रहा है कि टैंकर का माफिया इसमें उतरा हुआ है। जीपीएस सिस्टम नहीं होने के कारण एक टैंकर ने कितना ट्रिप लगाया, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है और जितना पैसा आ रहा है, क्या वह लोगों तक पहुँच रहा है? 144 तक लग चुकी है। हमारे कई दोस्तों ने ज़िक्र किया कि टैंकर जहाँ जा रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ एक-एक टैंकर के पीछे पाँच-पाँच हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पानी भी वहाँ पर देना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में वहाँ धारा 144 लगाने की पुलिस को जब नौबत आती है तो आप हालात समझ सकते हैं कि वहाँ के हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। टैंकर माफिया पूरे देश के हर जिले में कहीं न कहीं लगा हुआ है जो इस अकाल की परिस्थिति का फायदा उठाकर पैसे निकलवाने में लगा हुआ है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता है जिसकी वजह से जो दिया हुआ पैसा है, उसका कहीं पर गलत इस्तेमाल न करें और उसका फायदा हमको लोगों को पहुँचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, राहत पहुँचाने के लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लातूर की एक स्वाति टिकले नाम की बच्ची बस का पास नहीं होने के कारण स्कूल या कालेज में नहीं जा पाई और 260 रुपये नहीं होने के कारण उसके द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। यह बड़ी ट्रैजिक बात है, स्कूल के विद्यार्थी, कालेज के विद्यार्थी ऐसी हालत में भी स्कूल-कालेज में जाते हैं, घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि बस का पास भी बनवा सकें। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि कम से कम इस पूरे साल भर में बच्चों की एजुकेशनल फीस को पूरा माफ करने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन की फीस हम माफ कर रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, उनकी फीस इन जिलों में, जहां-जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, उनकी पूरी फीस माफ करने की आवश्यकता है। एजुकेशनल फीस को माफ करके ऐसी कोई बच्ची स्वाति के जैसी न हो, जिसको ऐसी नौबत आये।

सवाल किसानों की आज की जो आमदनी है, उसके बारे में आपकी सरकार ने कहा कि किसानों को हम उनके कास्ट्स के ऊपर उसका 50 प्रतिशत फायदा होना चाहिए, उसके ऊपर उसको प्रोफिट होना चाहिए, यह हमारी उम्मीद है, हम इस काम में लगे हुए हैं। इस विÂ्ाय पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, खास करके ऐसे हालात में, जब तीन साल लगातार सूखे की चपेट में पूरे देश के दस राज्य जा रहे हैं, तब किसान की आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जायेगी, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफीडेविट सरकार की ओर से दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि हम यह नहीं कर पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट में आपने बयान किया है। आपका घाष्ोÂ्ाणा-पत्र एक है, सरकार ने जो एफीडेविट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिया है, वह कुछ अलग है तो हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे...(व्यवधान)

कृÂिष और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : समर्थन मूल्य एक अलग विÂषय है और हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने भी चुनाव के पहले किसान की आमदनी को 50 फीसदी बढ़ाने की बात की थी, उस पर आज भी कायम हैं और आज तो हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आय दूनी की जाये। किसानों की आय बढ़ाना और समर्थन मूल्य बढ़ाना दोनों दो विÂषय हैं। ...(व्यवधान)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : ठीक है, मैं आभारी हूं। आप जवाब में बोलिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खाली आपको याद दिला रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: कोई कनफ्यूज़न नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट का एफीडेविट दूसरा विÂषय है और किसानों की आय बढ़ाना, लागत कम करना, 50 फीसदी कि दोगुना, ये दोनों अलग विÂषय हैं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : मंत्री जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरा बयान गलत होगा तो बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। सवाल सरकार के अमल करने का है, अगर वे कर सकते हैं तो हमें इसमें खुशी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मनरेगा की बात मैंने पहले की, 12 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने मनरेगा के लिए रिलीज़ किया। मैं माननीय मंत्री जी को खास तौर पर यह बताना चाहूंगा कि मनरेगा के काम और भी ज्यादा होने के लिए सवाल यह है कि स्किल्ड, अनस्किल्ड का जो पैसा लोगों को मिलना है, अभी कई राज्यों में पैसा नहीं मिला है। 12 हजार करोड़ रुपये में से आठ हजार करोड़ रुपये तो पुराने बिल्स चुकाने में लगे हैं तो आज जो काम मनरेगा में हो रहे हैं, लेबर को काम देने के बाद में अगर उसको उसका लेबर पेमेण्ट नहीं होगा तो मनरेगा का काम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यह खास करके मंत्री जी का ध्यान मैं इसलिए उसके ऊपर आकर्Âिषत कर रहा हूं कि मनरेगा का पेमेण्ट अगर वक्त पर होता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर किसानों को होगा, यह मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा।

अगर पूरे क्रॉप कंडीशंस का जायजा लिया जाये तो खरीफ और रबी मिलाकर तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा नुकसान पूरे भारतवÂ्ान में हुआ है। इतना नुकसान रबी और खरीफ सीजन का हुआ है तो यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने के बारे में क्या हम निश्चित तौर पर कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में तुरन्त यह फैसला करने की आवश्यकता है।

मंत्री जी के एक बयान पर हमें जरूर आपत्ति है, मैं इसका जिक्र यहां पर खास तौर पर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सूखे का कारण महाराÂष्ट्र का जो है, इसके लिए जिम्मेदार शुगर प्लांट्स हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी बहुत जिम्मेदार हैं और उनकी ओर से ऐसा स्टेटमेंट आना बिल्कुल उचित नहीं है। हम इसे व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए कहता हूं कि इसे पर्सनली न लें, मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इसे समझ लीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह: मेरा विष्Âाय आ गया, मेरा बयान है। मैंने राज्य सभा में भी कहा है और यहां भी कहा है और अभी जगदम्बिका पाल जी भी बोल रहे थे कि पानी की ज्यादा खपत इसमें होती है। अखबारों में बहुत समाचार आये। हमने इसी हाउस में कहा है कि इस सम्बन्ध में मराठवाड़ा पर अलग चर्चा होनी चाहिए, चूंकि इस प्रकार के समाचार बहुत आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप अपना अनुभव बताएं। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या बात है, वह आप बताइए। अगर आपको लगता है कि यह सुगरकेन के कारण नहीं हो रहा है तो आप वैसी बात बताएं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: अध्यक्ष महोदया, महाराष्Âट्र में सुगरकेन प्लांट्स ज्यादातर को-ऑपरेटिव सेक्टर में हैं। सुगरकेन एक कैश क्रॉप है। कॉटन एक कैश क्रॉप है। खासकर, मराठवाड़े के क्षेत्र में सुगरकेन के ज़रिए किसानों को अच्छा पैसा मिलता है और वह मिलता आ रहा है। सरकार ने एफ.आर.पी. देने के लिए बहुत ज़ोर लगाया है। हमारा यह कहना है कि सिंचाई की जो सुविधा है, उससे सुगर फैक्ट्रीज को पानी नहीं मिलता है, बल्कि किसानों को पानी मिलता है। किसानों के खेतों में जो गन्ना होता है, उसे किसान फैक्टिरयों में बेचते हैं और इसके ज़रिए जो पैसा आता है, वह किसानों को मिलता है। यह सिर्फ फैक्ट्रीज को ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर उससे रोज़गार मिलते हैं। सिर्फ सुगर प्लांट्स ही नहीं, बल्कि वहां जो बाकी के प्लांट्स हैं, उनमें भी पानी लगता है। सुगर प्लांट्स महाराÂष्ट्र में चल रहे हैं, इसलिए सिर्फ महाराष्Âट्र में सूखा है क्या? मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? अगर अकाल का कारण सुगर प्लांट्स हैं, तो क्या यह लॉजिक सिर्फ महाराÂष्ट्र के लिए लागू होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हर जगह सुगर प्लांट्स हैं। यह जो आपका लॉजिक है, वह सही नहीं है। आपके बयान से पूरे देश में गलत मैसेज जा रहा है। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। यह मेरी आपसे गुजारिश है।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक इस सूखे के कैस्केडिंग इफेक्ट का सवाल है, तो वह क्रॉप कंडीशंस पर तो ज्यादा हो ही गया है और जो प्राइसेस है, उसके ऊपर भी हो गया है। आम आदमी के जीवन पर हो गया है। आपने देखा कि अरहर दाल, उड़द दाल, चना दाल जैसी जीवनावश्यक चीज़ों की कीमतों में बहोतरी तकरीबन 150औ से 200औ तक हुई है। इसे भी कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। आप इम्पोर्ट कीजिए या आप जो भी करना चाहें, आप जरूर कीजिए। इसका असर जो आज हमारे मुल्क में हुआ है और यह राइजिंग प्राइसेस का जो मामला है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं तीन-चार चीज़ों की अपेक्षा मंत्री जी से करना चाहूंगा। आज प्रश्न काल में डि-सैलिनेशन प्लांट का ज़िक्र हुआ। यह हमारे लौंग टर्म की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि अभी बारिश हो जाएगी और हम सब भूल जाएंगे कि अकाल में क्या करना चाहिए। सरकार शायद इंतज़ार ही कर रही है कि महीने भर के बाद बारिश आ जाएगी और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, उनमें अगर डि-सैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएं तो अच्छा होगा। यह इंवेस्टमेंट है। सरकार को इसमें कुछ मदद करनी होगा। तमिलनाडु में और अन्य जगह ये लगे हुए हैं। पूरे भारतवÂर्ष में जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जिनके पास समुद्र का किनारा है, वहां हम लोगों को डि-सैलिनेशन प्लांट्स बड़े पैमाने पर देना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने नदी जोड़ो प्रकल्प का ज़िक्र किया। राजेन्द्र सिंह जी, जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, उनका बयान आज सबेरे ही मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उसके लिए रिवर कनेक्टिविटी कोई इलाज नहीं है।

इसमें दो चीज़ें हैं। इसे समझने की जरूरत है। कहीं पर पानी को लेकर अन्तर्राज्यीय झगड़े शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश और महाराÂष्ट्र में बावली प्रोजेक्ट के ऊपर झगड़ा हो गया। महाराÂष्ट्र के नांदेड़, परभनी में प्रॉब्लम हो गया है। जायकवाड़ी प्रकल्प को लेकर मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्Âट्र और पश्चिम महाराÂष्ट्र में झगड़ा शुरू हो गया है। मेरी गुज़ारिश यह है कि इसका फैसला करने से पहले वहां पानी की उपलब्धता क्या है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, वरना हर एक स्टेट में पानी के ऊपर झगड़ा हो जाएगा। वाटर रेगुलेटरी कमीशन काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पॉलिटीकल डिसीजन कह कर इसे सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। पर, यह मामला पॉलिटीकल नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। पानी की उपलब्धता किन-किन राज्यों में है और उसे ध्यान में रखकर इसे करना क्या वाएबल है, फिजीबल है या नहीं है, इसे सोचकर ही इसके ऊपर फैसला करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, मनरेगा का काम ज्यादा से ज्यादा मंज़ूर कीजिए। आत्महत्याग्रस्त जो भी कुटुम्ब हैं, उन्हें सरकार एक लाख रुपए देती है। इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की आवश्यकता है। यह एक लाख रुपए का नॉर्म बहुत पुराना है। मैं समझता हूं कि उसे आज की हालात में रिवाइज करने की आवश्यकता है। अगर उन्हें पांच लाख रुपए की राशि मिलती है, तो अच्छा होगा। उनकी जो फैमिली है, उसे पेंशन देने की आवश्यकता है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने उनके परिवारों के लिए दो हजार रुपए की पेंशन शुरू की है। हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार करें।

खाद, फर्टिलाइजर्स और सीड्स को आने वाली खरीफ सीजन के लिए अगर आप बिना मूल्य देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो कर्ज़ माफी की मांग है, जिस पर मैं निश्चित तौर पर अभी भी कायम हूं, उस पर आप गौर करें। यही मेरी आपसे अपेक्षा है।

माननीय अध्यक्ष : यह जो चर्चा है, इसे कल कांटीन्यू करेंगे। अभी हम जीरो ऑवर प्रारम्भ कर लेते हैं। We will continue it tomorrow.